Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में एस.डी.एम. कोर्ट मकराना का वरिष्ठ सहायक 30 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा मकराना, नागौर में कार्यवाही करते हुये नन्दसिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना, नागौर को परिवादी से **30 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि रिकार्ड शुद्वीकरण के मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला करवाने की एवज में नन्दसिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना, नागौर द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री जाकिर अख्तर** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचंद** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये नन्दसिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मकराना, नागौर को परिवादी से **30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी वरिष्ठ सहायक द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।